प्रेषक,

जिलाधिकारी,
हरिद्वार।

सेवा में,

रजिस्ट्रार जनरल,
माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल,
नई दिल्ली।
एन0जी0टी0

संख्याः 617 /एल0बी0ए0/2023 दिनांकः 23 सितम्बर, 2023

विषयः— माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा मूल आवेदन संख्या—632/2022 वी0के0 त्यागी बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 05.07.2023 के अनुपालन में आख्या प्रेषण के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा मूल आवेदन संख्या—632/2022 वी0के0 त्यागी बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 05.07.2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। जिसमें माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा निम्न निर्देश दिये गये है। यथा —

Sonali River is an Inter-State River involving the States of Uttarakhand and Uttar Pradesh. The identification/ demarcation of area of Sonali River and restoration/ management of its catchment area and removal of encroachments if any is also urgent need of the hour. The States of Uttarakhand and Uttar Pradesh and their instrumentalities have to take requisite remedial measures for restoration/rejuvenation of Sonali River. It is, therefore, essential that all concerned Departments of both the States coordinate and cooperate for taking remedial measures for restoration/ rejuvenation of Sonali River so that catchment area of river is harnessed and minimum e-flow is maintained in the River to restore its ecology and aquatic life.

मा0 माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के उक्त आदेश के अनुपालन के क्रम में जिलाधिकारी, हरिद्वार द्वारा दिनांक 24.08.2023 को एक बैठक ली गयी। बैठक में जिलाधिकारी हरिद्वार द्वारा निम्न दिशा निर्देश दिये गये।

1 बैठक में DRO, यू0पी0 सिंचाई विभाग द्वारा बताया गया कि सोलानी नदी का 92 कि0मी0 एरिया हरिद्वार जिले के अन्तर्गत आता हैं। जिलाधिकारी हरिद्वार द्वारा ज्वाईन्ट मजिस्ट्रेट, रूडकी को निर्देशित किया गया कि सोलानी नदी के दोनों तटों पर 92 कि0मी0 की दूरी पर पडने वाले ग्रामों के सम्बन्ध में बी0डी0ओ0 से वार्ता कर 01 सप्ताह में रिपोर्ट दें कि उक्त दूरी के अन्तर्गत सोलानी नदी के दोनों ओर कौन—कौन एवं कितने गांव आ रहें हैं।

2— ज्वाईन्ट मजिस्ट्रेट रूडकी, सिंचाई विभाग रूडकी उत्तराखण्ड, सिंचाई विभाग यू0पी0 सिंचाई रूडकी, गंगा प्रदूषण, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड क्षेत्रीय कार्यालय रूडकी की एक संयुक्त टीम का गठन कर एक सप्ताह के अन्दर सोलानी नदी में गिर रहे नालों को टैप करने हेतु STP निर्माण के लिए भूमि का सर्वसम्मति से चयन कर प्रस्ताव उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

3— सोलानी नदी के rejuvenation हेतु एवं सोलानी नदी के दोनों ओर उक्त वर्णित 92 कि0मी0 की दूरी के अन्तर्गत स्थित ग्रामों में सोलानी नदी के तटों पर वृक्षारोपण हेतु डी0डी0ओ0 हरिद्वार मनरेगा योजना के तहत वृक्षारोपण हेतु एक विस्तृत कार्ययोजना 01 सप्ताह के अन्तर्गत तैयार कर प्रस्तुत करेंगें। इसी प्रकार की एक कार्ययोजना उक्त क्षेत्रों में वृक्षारोपण हेतु वन विभाग हरिद्वार भी तैयार करेगा। वृक्षारोपण हेतु नमामि गंगे योजना से भी सहयोग लिया जाय।

4— जिलाधिकारी हरिद्वार द्वारा निर्देशित किया गया कि वृक्षारोपण के साथ—साथ वन विभाग हरिद्वार द्वारा उक्त क्षेत्र में बाम्बू का प्लाटेंशन भी किया जा सकता हैं।

5— जिलाधिकारी हरिद्वार द्वारा डी0डी0ओ0 हरिद्वार/मुख्य/जिला उद्यान अधिकारी, हरिद्वार को निर्देशित किया गया कि वे उक्त क्षेत्र का निरीक्षण कर वहां पर मधुमक्खी पालन हेतु एक कार्ययोजना 01 सप्ताह मे तैयार कर प्रस्तुत करें।

6— सिंचाई विभाग, रूडकी प्लड प्लेन जोन के सीमांकन/निर्धारण के संबंध में की गयी कार्यवाही के संबंध में 01 सप्ताह के अन्दर प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करें। साथ ही यह भी बताये कि क्या प्रश्नगत भूमि पर वर्तमान में भी कोई अतिक्रमण हैं, के संबंध में रिपोर्ट देने हेतु उप जिलाधिकारी रूडकी को आदेशित किया गया।

अन्त में उक्त सभी विभागों को निर्देशित किया गया कि वे आपस में समन्वय स्थापित करते हुए एक विस्तृत कार्ययोजना 01 सप्ताह के अन्तर्गत तैयार करें। (संलग्नक—1)

जिलाधिकारी, हरिद्वार द्वारा बैठक दिनांक 24.08.2023 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में विभिन्न विभागों द्वारा की गई कार्यवाही का विवरण निम्न प्रकार है :—

1— सिंचाई विभाग रूडकी, हरिद्वारः—मुख्य अभियन्ता स्तर—II सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड हरिद्वार द्वारा अपनी रिपोर्ट संख्या—2778/मु0अ0ह0/सि0वि0/एन0जी0टी0 दिनांक 20.09.2023 में उल्लेख किया गया है कि सोलानी नदी पर बाढ़ मैदान परिक्षेत्रण हेतु सर्वेक्षण/Data Collection, Cross Section, Flood Frenquency, Analysis and DEM आदि का कार्य करा लिया गया हैं तथा माह के अन्त तक प्रथम वर्कशॉप कराया जाना प्रस्तावित हैं। इसके उपरान्त मॉडलिंग का कार्य कर विभिन्न आवृत्ति 05 वर्षीय, 10 वर्षीय, 25 वर्षीय, 50 वर्षीय, 100 वर्षीय पर बाढ़ फैलाव का सीमांकन किया जायेगा, उक्त सभी कार्य मार्च 2024 तक पूर्ण कर लिया जाना लक्षित हैं। (संलग्नक—2)

2— परियोजना प्रबन्धक निर्माण एवं अनुरक्षण इकाई (गंगा), उत्तराखण्ड पेयजल निगम, जगजीतपुर द्वारा अपनी रिपोर्ट कार्यालय पत्र संख्या—2203/कार्य—25/36 दिनांक 16.09.2023 के द्वारा अधिशासी अभियन्ता, उत्तरी खण्ड गंगनहर, उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग, रूड़की को प्रेषित करते हुये प्रतिलिपि जिलाधिकारी हरिद्वार को पृष्ठांकित की गई है। जिसमें उल्लेख किया गया है कि सोलानी नदी में गिरने वाले नालों को टैप करने हेतु एस0टी0पी0 निर्माण के लिए भूमि उपलब्ध कराने के संबंध में Aqueduct से अपस्ट्रीम में मच्छी मौहल्ला के समीप खसरा नम्बर—254 एवं Aqueduct से डाऊनस्ट्रीम में आदर्श नगर सोलानी नदी के समीप खसरा नम्बर—34 पर STP निर्माण हेतु चिन्हित भूमि जो अधिशासी अभियन्ता, उत्तरी खण्ड गंगनहर, उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग, रूड़की के स्वामित्व में है, की अनापत्ति मिलने के पश्चात् ही उक्त कार्यो का विस्तृत प्राक्कलन तैयार कर उच्चाधिकारियों को प्रेषित किया जा सकेगा। इस सम्बन्ध में उनके द्वारा एक पत्र सं0—2113/डी0एस0ए0/सचिव/2023 दिनांक 15.09.2023 परियोजना प्रबन्धक निर्माण एवं अनुरक्षण इकाई (गंगा), उत्तराखण्ड पेयजल निगम, जगजीतपुर को प्रेषित किया गया है। (संलग्नक—3) उक्त क्षेत्र में कराये जाने वाले प्रस्तावित कार्यो की Prefeasibillity Report आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की गई।

मा0 नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा मूल आवेदन सं0—632/2022 वी0के0 त्यागी बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य के अनुपालन में इस इकाई द्वारा रूड़की नगर में सोलानी नदी में गिर रहे 08 गन्दे नालों को उपचारित करने हेतु Interception & Diversion एंव एस0टी0पी0 निर्माण हेतु प्राक्कलन तैयार करने की प्रक्रिया गतिमान है।

रूड़की शहर सोलानी नदी के दायें किनारे पर स्थित है। रूड़की शहर के मध्य से गंगा कैनाल सोलानी नदी के ऊपर से प्रवाहित हो रही है। सोलानी नदी क्षेत्र का सर्वेक्षण करने के उपरान्त पाया गया कि रूड़की शहर से कुल 08 नग नाले रूड़की के समीप सोलानी नदी में गिर रहे है। जिसमें से 05 नग नाले Aqueduct से सोलानी नदी के अपस्ट्रीम में गिर रहे है एवं 03 नग नाले Aqueduct से सोलानी नदी के डाऊनस्ट्रीम में गिर रहे है। गिरने वाले नालें निम्नानुसार है :—

क्र0सं0	नाले का नाम	नाले के गिरने का स्थल
1.	धोबी घाट ड्रेन	Aqueduct से अपस्ट्रीम में।
2.	सोत मौहल्ला ड्रेन	
3.	इमली रोड़ ड्रेन	
4.	मच्छी मौहल्ला लोवर ड्रेन	
5.	रामपुर चुंगी ड्रेन	
6.	आदर्श नगर ड्रेन—1	Aqueduct से डाऊनस्ट्रीम में।
7.	आदर्श नगर ड्रेन—2	
8.	पठानपुरा ड्रेन	

Aqueduct से अपस्ट्रीम में गिरने वाले कुल 05 नग नालों का Dry Weather Flow 20.00 एम0एल0डी0 है एवं Aqueduct से डाऊनस्ट्रीम में गिरने वाले कुल 03 नग नालों का Dry Weather Flow 20.00 एम0एल0डी0 है।

Aqueduct से अपस्ट्रीम में गिरने वाले 05 नग नालों के Aqueduct के ट्रीटमेंट एक नग एस0टी0पी0 का निर्माण उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग, रूड़की के स्वामित्व वाली भूमि पर किया जाना प्रस्तावित है। उक्त भूमि के चयन हेतु जिलाधिकारी, हरिद्वार एवं ज्वाइंट मजिस्ट्रेट रूड़की के निर्देशों के अनुपालन में इकाई के अधिकारियों के साथ–साथ उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग, रूड़की एवं राजस्व विभाग, रूड़की के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के साथ दिनांक 19.05.2023, दिनांक 10.07.2023 एवं दिनांक 01.08.2023 को संयुक्त निरीक्षण किया गया। संयुक्त निरीक्षण उपरान्त सोलानी नदी के अपस्ट्रीम में मच्छी मौहल्ला के समीप खसरा सं0–254 में Aqueduct से डाऊनस्ट्रीम में गिरने वाले कुल 03 नग नालों का Dry Weather Flow के ट्रीटमेन्ट हेतु आदर्श नगर में सोलानी नदी के समीप खसरा सं0–34 पर स्थित भूमि का संयुक्त रूप से चयन किया गया। खसरा सं0–254 की भूमि के ऊपर से 11000 KVA की विद्युत लाईन गुजर रही है। जिसको शिफ्ट कराया जाना आवश्यक होगा।

उक्त क्षेत्र में गिरने वाले सभी नालों के गन्दें पानी के सैम्पलों की टैस्टिंग इकाई द्वारा एवं उत्तराखण्ड प्रदूषण बोर्ड द्वारा करा दी गयी।

Aqueduct से अपस्ट्रीम में 05 नग नालों के Dry Weather Flow के शोधन हेतु लगभग 20.00 एम0एल0डी0 क्षमता का एस0टी0पी0 मच्छी मौहल्ला के समीप खसरा सं0–254 में प्रस्तावित किया गया है एवं Aqueduct से डाऊनस्ट्रीम में 03 नग के Dry Weather Flow के शोधन हेतु लगभग 2.00 एम0एल0डी0 क्षमता का एस0टी0पी0 आदर्श नगर सोलानी नदी में समीप खसरा सं0–34 में प्रस्तावित किया गया।

उक्त योजना में 08 नग नालों टैपिंग संरचनायें तथा नाला टैपिंग से एस0टी0पी0 तक लगभग 03 किमी Carrier Line का निर्माण कराया जाना प्रस्तावित है। योजना का विस्तृत आगणन प्रस्तावित भूमि का एन0ओ0सी0 प्राप्त होने के पश्चात् तैयार कर उच्चाधिकारियों को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित कर दिया जायेगा। **(संलग्नक–4)**

3– <u>उप जिलाधिकारी, रूडकी</u> द्वारा अपनी रिपोर्ट संख्या–731/पी0ए0 दिनांक 16.09.2023 में बताया गया है कि अधिशासी अभियंता, उत्तरी खण्ड गंगा नहर, रूडकी को पत्र संख्या–2113/डी0एस0ए0/सचिव दिनांक 15.09.2023 परियोजना प्रबन्धक, निर्माण एवं अनुरक्षण इकाई (गंगा), उत्तराखण्ड पेयजल निगम, हरिद्वार को प्रेषित किया गया। जिसकी प्रतिलिपि अन्यों के साथ उप जिलाधिकारी, रूड़की को भी पृष्ठाकिंत की गई। उक्त पत्र में उल्लेख किया गया है कि रूड़की क्षेत्र के अन्तर्गत सोलानी नदी में गिरने वाले नालों के वेस्ट वाटर के शोधन हेतु एस0टी0पी0 निर्माण के लिए दिनांक 31.07.2023 को संयुक्त निरीक्षण कर निम्न भूमि को चिन्हित किया गया है–

1– सोलानी एक्वाडक्ट के अपस्ट्रीम में मच्छी मौहल्ला के सामने खसरा सं0–254–2.0 है0।
2– आर्दश नगर सोलानी नदी के समीप–0.2 है0।

उक्त चिन्हित भूमि के अंतर्गत जितनी भूमि पर एस0टी0पी0 प्लान्ट लगाया जाना है तथा जो सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग उ0प्र0 के अधीन है, को विस्तृत विवरण एवं एस0टी0पी0 प्लान्ट लगाने हेतु परियोजना की डी0पी0आर उपलब्ध कराने हेतु लिखा गया है।

अधिशासी अभियंता, उत्तरी खण्ड गंग नहर, रूड़की को पत्र संख्या–616/उखगनरू/राजस्व अनुभाग/एन0जी0टी0 दिनांक 16.09.2023 के द्वारा अवगत कराया है कि दिनांक 11.04.2023 को पुलिस प्रशासन के सहयोग से विभाग द्वारा अवैध रूप से काश्त की गई चारे इत्यादि की फसल को ट्रेक्टर द्वारा जुताई कर सिंचाई विभाग, उ0प्र0 की भूमि को अतिक्रमण मुक्त करा लिया गया था। वर्तमान में उक्त भूमि पर कोई भी अवैध अतिक्रमण नहीं है। मा0 हरित अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 05.07.2023 का अनुपालन पूर्ण रूप से सुनिश्चित कर लिया गया है। **(संलग्नक–5)**

4– **जिला विकास अधिकारी, हरिद्वार** द्वारा अपनी रिपोर्ट संख्या–401/मनरेगा–सोनाली नदी पुनर्रोद्धार/2023–24 दिनांक 12.09.2023 में वर्णित किया गया है कि सोलानी नदी के rejuvenation के दृष्टिगत उक्त वर्णित 92 किमी0 क्षेत्र में नदी के दोनों ओर पड़ने वाले गांवों के विकास खण्डो द्वारा वृक्षारोपण से संबंधित मनरेगा कार्य योजना निम्न् प्रकार हैं:–

विकास खण्ड का नाम–लक्सर

क्र0सं0	ग्राम पंचायत का नाम	पौधों की संख्या	क्षे0(हे0में)	अनुमानित लागत (लाख में)	पौधो की प्रजाति
1	लादपुर कंला	1050	1.62	2.50	बांस, नीम, तून, शीशम
2	मा0पुर बुर्जुग	1100	1.62	2.8	बांस, नीम, तून, शीशम
3	कुआखेडा	1205	1.85	2.85	बांस, नीम, तून, शीशम
4	ढाढेकी ढाणा	1280	1.97	2.9	बांस, नीम, तून, शीशम
	योग	3535	7.13	11.05	

खण्ड विकास का नाम –रूडकी

क्र0सं0	ग्राम पंचायत का नाम	पौधो की संख्या	क्षेत्रफल (हे0 में)	अनुमानित लागत (लाख रू में)	पौधो के प्रकार
1	करोंदी	3250	5.00	7.00	बांस, नीम, तून, शीशम
2	किशनपुर जमालपुर	4550	7.00	9.80	बांस, नीम, तून, शीशम
3	पुहाना	650	1.00	1.40	बांस, नीम, तून, शीशम
	योग	8450	13.00	18.20	

विकास खण्ड का नाम –भगवानपुर

क्र0सं0	ग्राम पंचायत का नाम	पौधो की संख्या	क्षेत्रफल (हे0 में)	अनुमानित लागत (लाख रू में)	पौधो के प्रकार
1	2	3	4	5	6
1	खेडी शिकोहपुर	1560	2.40	3.36	बांस, नीम, तून, शीशम आदि
2	डाडा पट्टी	650	1.00	1.40	बांस, नीम, तून, शीशम आदि
3	हसनपुर मदनपुर	650	1.00	1.40	बांस, नीम, तून, शीशम आदि
4	खुबबनपुर	650	1.00	1.40	बांस, नीम, तून, शीशम आदि
5	चौली शहाबुद्दीनपुर	1170	1.80	2.52	बांस, नीम, तून, शीशम आदि
6	सीसोना	1300	2.00	2.80	बांस, नीम, तून, शीशम आदि
7	बहबपुर	1560	2.40	3.36	बांस, नीम, तून, शीशम आदि
8	मानक मजरा	1690	2.60	3.36	बांस, नीम, तून, शीशम आदि
9	वहावपुर उर्फ छागामजरी	650	1.00	1.40	बांस, नीम, तून, शीशम आदि
	योग	9880	15.20	21.28	

विकास खण्ड का नाम –खानपुर

क्र0सं0	ग्राम पंचायत का नाम	ग्राम का नाम	पौधो की संख्या	क्षेत्रफल(हे0में)	अनुमानित धनराशि(लाख में)
1	2	3	4	5	6
1	मौहम्मदपुर मथाना	मथाना	115	0.18	0.15
2	मौहम्मदपुर मथाना	मौहम्मदपुर	122	0.19	0.15
3	मौहम्मदपुर मथाना	झिवरेडी	95	0.15	0.10
4	मौहम्मदपुर मथाना	सहीपुर	110	0.17	0.10
5	मौहम्मदपुर मथाना	इब्राहिमपुर	75	0.12	0.10
6	सिकन्दरपुर	सिकन्दरपुर	125	0.19	0.20
7	सिकन्दरपुर	अब्दीपुर	130	0.20	0.25
8	सिकन्दरपुर	याहिपुर	125	0.19	0.15
9	प्रहलादपुर	हस्तमौली	170	0.26	0.30
10	प्रहलादपुर	आलमपुर	155	0.24	0.30
11	प्रहलादपुर	मदारपुर	105	0.16	0.10
12	प्रहलादपुर	शाहपुर	115	0.18	0.15
13	जोग्गावाला	जोग्गावाला	175	0.27	0.30
14	दल्लावाला	दल्लावाला	155	0.24	0.30
15	चन्द्रपुरी खादर	चन्द्रपुरी खादर	135	0.21	0.30
16	चन्द्रपुरी खादर	कवलपुर	125	0.19	0.20
		योग	2032	3.14	3.15

जनपद हरिद्वार।

क्र0सं0	विकास खण्ड	ग्राम पंचायतो की संख्या	पौधो की संख्या	क्षेत्रफल(हे0 में)	अनुमानित धनराशि (लाख में)	पौधो के प्रकार
1	भगवानपुर	9	9880	15.20	21.28	बांस, नीम, तून, शीशम आदि
1	खानपुर	6	2032	3.14	3.15	बांस, नीम, तून, शीशम आदि
2	लक्सर	4	3535	7.13	11.05	बांस, नीम, तून, शीशम आदि
3	रुडकी	3	8450	13.00	18.20	बांस, नीम, तून, शीशम आदि
	योग	22	23897	38.47	53.68	

(संलग्नक–6)

5– <u>अधीक्षण अभियन्ता, जल विज्ञान मण्डल, सिंचाई अनुसंधान संस्थान, बहादराबाद</u> द्वारा अपनी रिपोर्ट संख्या–1281/ज0वि0मं0/बा0मै0परि0 दिनांक 16.09.2023 में बताया गया है कि उक्त नदी का सोलानी नदी पार बाढ़ मैदान परिक्षेत्रण हेतु सर्वेक्षण/Data Collection, Cross Section, Flood Frequency Analysis And DEM आदि का कार्य करा लिया गया है तथा माह के अंत तक प्रथम वर्कशॉप कराया जाना प्रस्तावित है। इसके उपरान्त मॉडलिंग का कार्य कर विभिन्न आवृत्ति 05 वर्षीय, 10 वर्षीय, 25 वर्षीय, 50 वर्षीय, 100 वर्षीय पर बाढ़ फैलाव का सीमाकंन किया जाएगा। अवगतनीय है कि उक्त सभी कार्य मार्च 2024 तक पूर्ण कर लिये जाने की सम्भावना है। (संलग्नक–7)

6– <u>मुख्य उद्यान अधिकारी, हरिद्वार द्वारा</u> अपनी रिपोर्ट सं0–1574/मौ0पा0/2023–24 दिनांक 18.09.2023 द्वारा सोलानी नदी के दोनों तटों पर पड़ने वाले ग्रामों की सूची उपलब्ध कराई गई है। जो निम्न् प्रकार है :–

भगवानपुर – शहीदावाला ग्रंट, धीरमजरा, छंगामजरी, हकीमपुर तुर्रा, डाडापट्टी, मण्डावर, हसनपुर मदनपुर, खेडी शिकाहपुर, अलावलपुर, अहमदपुर खेडी, मुर्करमपुर उर्फ कालेवाला, औरंगजेबपुर, रायपुर, सिसौना, लाव्वा, डाडा जलालपुर, बहबलपुर हंसूवाला, मानकमाजरा, हाल्लूमाजरा, बेहडकी सैदाबाद।

रूडकी – मोहनपुरा माजरा, सैदपुरा, किशनपुर जमालपुर, सालियर साल्हापुर, भंगेडी, कान्हापुर, ढंढडी ख्वाजगीपुर, मीरपुर सिकन्दरपुर।

लक्सर – दाबकी खुर्द, मोहम्मदपुर बुजुर्ग, लादपुरकंला, ढाढेकी ढाणा।

उक्त के अतिरिक्त जिला उद्यान अधिकारी, हरिद्वार द्वारा सोलानी नदी के दोनों तटों से सटे हुए ग्रामों हेतु मौनपालन की एक कार्ययोजना तैयार की गयी है, जो निम्न प्रकार है।

क्र0 स0	विकास खण्ड का नाम	विकास खण्ड के अंतर्गत सम्मिलित ग्रामो की सं0	मौनपालन हेतु प्रशिक्षणार्थियों की सं0	मद का विवरण	मौनपालन पर व्यय	कृषाकांश	राज्यांश	कुल व्यय	अभियुक्ति
1	भगवानपुर	23	30	मौनपालन प्रशिक्षण	31500.00	0.00	0.00	31500.00	राज्य सेक्टर योजनान्तर्गत योजना क्रियान्वित की जायेगी।
				मौनबॉक्स वितरण	300 मौनबॉक्स	720000.00	480000.00	1200000.00	
2	रुडकी	10	30	मौनपालन प्रशिक्षण	31500.00	0.00	0.00	31500.00	
				मौनबॉक्स वितरण	300 मौनबॉक्स	720000.00	480000.00	1200000.00	
3	लक्सर	5	30	मौनपालन प्रशिक्षण	31500.00	0.00	0.00	31500.00	
				मौनबॉक्स वितरण	300 मौनबॉक्स	720000.00	480000.00	1200000.00	
	योग	38	90		900 मौनबॉक्स, 94500.00	2160000.00	1440000.00	3694500.00	

(संलग्नक–8)

इस प्रकार विभिन्न विभागों द्वारा प्रस्तुत आख्याओं के आधार पर महोदय के संज्ञान में लाना है कि प्रश्नगत क्षेत्र में वर्तमान में कोई अतिक्रमण नहीं है। परियोजना प्रबन्धक, निर्माण एवं अनुरक्षण इकाई (गंगा) उत्तराखण्ड पेयजल निगम जगजीतपुर हरिद्वार द्वारा सोलानी नदी में गिरने वाले नालों को टैप करने हेतु डी0पी0आर0 तैयार कर अधिशासी अभियन्ता, उत्तरी खण्ड गंगनहर (उत्तर प्रदेश) को भेजी गयी है। जिसके क्रम में अधिशासी अभियन्ता, उत्तरी खण्ड गंगनहर (उत्तर प्रदेश) रूड़की की ओर से एस0टी0पी0 निर्माण हेतु चयनित भूमि की एन0ओ0सी0 (NOC) प्रतीक्षित है। सोलानी नदी के प्लड जोन निर्धारण की कार्यवाही चल रही है। साथ ही सोलानी नदी के rejuvenation हेतु ग्राम्य विकास विभाग द्वारा वृक्षारोपण की कार्ययोजना भी बना ली गयी है।

अतः उपरोक्तानुसार आख्या संलग्नकों सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्न–यथोक्त।

भवदीय

(पी0एल0 शाह)
अपर जिला मजिस्ट्रेट–प्र0
हरिद्वार।
23/09/23

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

1– श्री राहुल वर्मा, एडवोकेट अपर स्थायी अधिवक्ता, उत्तराखण्ड सरकार, मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली।

2– सदस्य, सचिव मुख्यालय उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड गौरा देवी पर्यावरण भवन 46 बी, आई0टी0 पार्क सहस्त्रधारा रोड देहरादून।

अपर जिला मजिस्ट्रेट–प्र0
हरिद्वार।

(1)

कार्यालय जिलाधिकारी हरिद्वार।

दिनांक 15 सितम्बर, 2023

संख्या 531/एल0वी0ए0–2023

विषय– माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा मूल आवेदन संख्या–632/2022 वी0के0 त्यागी बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 05.07.2023 के अनुपालन के संबंध में।

1– प्रभागीय वनाधिकारी वन प्रभाग, हरिद्वार।
2– ज्वाईन्ट मजिस्ट्रेट, रूडकी।
3– नगर आयुक्त, नगर निगम, रूडकी।
4– अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, हरिद्वार/रूडकी।
5– परियोजना प्रबन्धक, निर्माण एवं अनुरक्षण इकाई (गंगा), उत्तराखण्ड पेयजल निगम, जगजीतपुर, हरिद्वार।
6– क्षेत्रीय अधिकारी उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, रूडकी।
7– मुख्य अभियन्ता स्तर–II सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड हरिद्वार।
8– अधीक्षण अभियन्ता, जल विज्ञान मण्डल, बहादराबाद, हरिद्वार।
9– अधिशासी अभियन्ता उत्तरी खण्ड गंग नहर, रूडकी।
10– जिला विकास अधिकारी, हरिद्वार।
11– जिला उद्यान अधिकारी, हरिद्वार।

उपरोक्त विषयक के संबंध में अवगत कराना है कि दिनांक 24.08.2023 को जिलाधिकारी महोदय हरिद्वार की अध्यक्षता में अपरान्ह 12:30 बजे विकास भवन रोशनाबाद हरिद्वार में माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा मूल आवेदन संख्या–632/2022 वी0के0 त्यागी बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 05.07.2023 के अनुपालन के संबंध में एक महत्वपूर्ण बैठक आहूत की गयी।

उक्त बैठक में सभी विभागों को जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि वे आपस में समन्वय स्थापित करते हुए एक विस्तृत कार्ययोजना 01 सप्ताह के अन्तर्गत तैयार कर जिलाधिकारी कार्यालय में उपलब्ध करना सुनिश्चित करेंगे। जो आतिथि तक अप्राप्त हैं।

अतः बैठक दिनांक 24.08.2023 का कार्यवृत्त संलग्न कर इस आशय के साथ प्रेषित है कि उक्त बैठक में जिलाधिकारी महोदय द्वारा दिये गये निर्देशो का अनुपालन करते हुए आज अपरान्ह 03:00 बजे तक एक विस्तृत कार्ययोजना अधोहस्ताक्षरी के समक्ष प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

संलग्न– बैठक का कार्यवृत्त।

(पी0एल0शाह)
अपर जिलाधिकारी–प्र0,
हरिद्वार।
15/09/23

प्रतिलिपिः– निम्नांकित को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
1– जिलाधिकारी महोदय की सेवा मे सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2– मुख्य विकास अधिकारी, हरिद्वार।

अपर जिलाधिकारी (प्र0),
हरिद्वार।

बैठक का कार्यवृत्त

आज दिनांक 24.08.2023 को जिलाधिकारी महोदय हरिद्वार की अध्यक्षता में अपरान्ह् 12:30 वजे विकास भवन रोशनावाद हरिद्वार में माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा मूल आवेदन संख्या–632/2022 वी0के0 त्यागी वनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 05.07.2023 के अनुपालन के संबंध में एक महत्वपूर्ण बैठक आहूत की गयी। जिसमें निम्न लिखित विभागीय अधिकारियों द्वारा प्रतिभाग किया गया। यथा:–

1– जिलाधिकारी महोदय, हरिद्वार।
2– मुख्य विकास अधिकारी, हरिद्वार।
3– अपर जिलाधिकारी–प्रशासन, हरिद्वार।
4– ज्वाईन्ट मजिस्ट्रेट, रूडकी।
5– नगर आयुक्त, नगर निगम, रूडकी।
6– अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, हरिद्वार/रूडकी।
7– परियोजना प्रवन्धक, निर्माण एवं अनुरक्षण इकाई (गंगा), उत्तराखण्ड पेयजल निगम, जगजीतपुर, हरिद्वार।
8– क्षेत्रीय अधिकारी उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण वोर्ड, रूडकी।
9– मुख्य अभियन्ता स्तर–II सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड हरिद्वार।
10– अधीक्षण अभियन्ता, जल विज्ञान मण्डल, वहादरावाद, हरिद्वार।
11– अधिशासी अभियन्ता उत्तरी खण्ड गंग नहर, रूडकी।
12– जिला विकास अधिकारी, हरिद्वार।

1 बैठक में DRO, यू0पी0 सिंचाई विभाग द्वारा वताया गया कि सोलानी नदी का 92 कि0मी0 एरिया हरिद्वार जिले के अन्तर्गत आता हैं। जिलाधिकारी महोदय द्वारा ज्वाईन्ट मजिस्ट्रेट, रूडकी को निर्देशित किया गया कि सोलानी नदी के दोनों तटों पर 92 कि0मी0 की दूरी पर पडने वाले ग्रामों से संवंधित बी0डी0ओ0 से वार्ता कर 01 सप्ताह में रिपोर्ट दें कि उक्त दूरी के अन्तर्गत सोलानी नदी के दोनों ओर कौन–कौन एवं कितने गांव आ रहें हैं।

2– ज्वाईन्ट मजिस्ट्रेट रूडकी, सिंचाई विभाग रूडकी उत्तराखण्ड, सिंचाई विभाग यू0पी0 सिंचाई रूडकी, गंगा प्रदूषण, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड क्षेत्रीय कार्यालय रूडकी की एक संयुक्त टीम का गठन कर एक सप्ताह के अन्दर सोलानी नदी में गिर रहे नालों को टैप करने हेतु STP निर्माण के लिए भूमि का सर्वसम्मति से चयन कर प्रस्ताव उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

3– सोलानी नदी के पुनरर्नवीकरण हेतु एवं सोलानी नदी के दोनो ओर उक्त वर्णित 92 कि0मी0 की दूरी के अन्तर्गत स्थित ग्रामों में सोलानी नदी के तटों पर वृक्षारोपण हेतु डी0डी0ओ0 हरिद्वार मनरेगा योजना के तहत वृक्षारोपण हेतु एक विस्तृत कार्ययोजना 01 सप्ताह के अन्तर्गत तैयार कर जिलाधिकारी महोदय के समक्ष प्रस्तुत करेंगें। इसी प्रकार की एक कार्ययोजना उक्त क्षेत्रों में वृक्षारोपण हेतु वन विभाग हरिद्वार भी तैयार करेगा। वृक्षारोपण हेतु नमामि गंगे योजना से भी सहयोग लिया जाय।

4– जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि वृक्षारोपण के साथ–साथ वन विभाग हरिद्वार द्वारा उक्त क्षेत्र में बाम्बू का प्लाटेंशन भी किया जा सकता हैं।

01/09/23

5– जिलाधिकारी महोदय द्वारा डी0डी0ओ0 हरिद्वार/मुख्य/जिला उद्यान अधिकारी, हरिद्वार को निर्देशित किया गया कि वे उक्त क्षेत्र का निरीक्षण कर वहां पर मधुमक्खी पालन हेतु एक कार्ययोजना 01 सप्ताह मे तैयार कर प्रस्तुत करें।

6– सिंचाई विभाग रूडकी प्लड प्लेन जोन के सीमांकन/निर्धारण के संबंध में की गयी कार्यवाही के संवंध में 01 सप्ताह के अन्दर प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करें। तथा क्या प्रश्नगत भूमि पर वर्तमान में भी कोई अतिक्रमण हैं के संवंध में रिपोर्ट देने हेतु उप जिलाधिकारी रूडकी को आदेशित किया गया।

अन्त में उक्त सभी विभागों को निर्देशित किया गया कि वे आपस में समन्वय स्थापित करते हुए एक विस्तृत कार्ययोजना 01 सप्ताह के अन्तर्गत तैयार कर जिलाधिकारी महोदय के समक्ष प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

उपरोक्त निर्देशो के सम्वन्ध में कार्यवाही समयान्तर्गत रूप से किये जाने हेतु एवं कृत कार्यवाही से जिलाधिकारी महोदय को सूचित करने के निर्देश देते हुए सभी उपस्थित अधिकारियों का धन्यवाद करते हुये वैठक समाप्ति की घोषणा की गयी।

(पी0एल0शाह)
अपर जिलाधिकारी–प्र0,
हरिद्वार।

कार्यालय जिलाधिकारी, हरिद्वार।

पत्रांकः– 462 /एल0वी0ए0/2023 दिनांकः– 01 / 09/2023

प्रतिलिपिः– निम्नांकित को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– जिलाधिकारी महोदय, हरिद्वार।
2– मुख्य विकास अधिकारी, हरिद्वार।
3– प्रभागीय वनाधिकारी वन प्रभाग हरिद्वार।
4– ज्वाईन्ट मजिस्ट्रेट, रूडकी।
5– नगर आयुक्त, नगर निगम, रूडकी।
6– अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, हरिद्वार/रूडकी।
7– परियोजना प्रबन्धक, निर्माण एवं अनुरक्षण इकाई (गंगा), उत्तराखण्ड पेयजल निगम, जगजीतपुर, हरिद्वार।
8– क्षेत्रीय अधिकारी उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, रूडकी।
9– मुख्य अभियन्ता स्तर–II सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड हरिद्वार।
10– अधीक्षण अभियन्ता, जल विज्ञान मण्डल, बहादराबाद, हरिद्वार।
11– अधिशासी अभियन्ता उत्तरी खण्ड गंग नहर, रूडकी।
12– जिला विकास अधिकारी, हरिद्वार।
13– जिला उद्यान अधिकारी, हरिद्वार।

अपर जिलाधिकारी (प्र0),
हरिद्वार।
01/09/23

Item No. 06

(Court No. 2)

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPALBENCH,NEW DELHI.

(Through Physical Hearing with Hybrid VC Option)
Original Application No.632/2022

V.K. Tyagi ...Applicant

Versus

State of Uttarakhand& Ors. ...Respondents

Date of hearing: 05.07.2023

CORAM: HON'BLE MR. JUSTICE ARUN KUMAR TYAGI, JUDICIAL MEMBER.
HON'BLE DR. AFROZ AHMAD, EXPERT MEMBER.

Applicant: None.

Respondent: Mr. Rahul Verma, Additional Advocate General for the State of Uttarakhand with Mr. Dhiraj Singh Garbyal, District Magistrate, Haridwar and Mr. Prem Singh Panwar, Chief Engineer, Level II, Irrigation Department, Uttarakhand.
Mr. Mukesh Verma, Advocate for the UKSPCB (through VC).

Application is registered based on a Letter Petition received by Email.

ORDER

1. In compliance of order dated 18.05.2023, additional replies have been filed by Irrigation Department vide email dated 31.05.2023 and 30.06.2023 and District Magistrate, Haridwar 30.06.2023, 01.07.2023 and 04.07.2023.

2. Mr. Dhiraj Singh Garbyal, District Magistrate, Haridwar, Uttarakhand and Mr. Prem Singh Panwar, Chief Engineer, Irrigation Department, Uttarakhand have also appeared before this Tribunal physically and we have interacted with them and both of them have apprised about the steps which have been taken for compliance with the orders passed by this Tribunal.

3. Sonali River is an Inter-State River involving the States of Uttarakhand and Uttar Pradesh. **The identification/demarcation of area of Sonali River and restoration/management of its catchment area and removal of encroachments if any is also urgent need of the hour. The**

States of Uttarakhand and Uttar Pradesh and their instrumentalities have to take requisite remedial measures for restoration/rejuvenation of Sonali River. It is, therefore, essential that all concerned Departments of both the States coordinate and cooperate for taking remedial measures for restoration/rejuvenation of Sonali River so that catchment area of river is harnessed and minimum e-flow is maintained in the River to restore its ecology and aquatic life.

4. In view of these facts and circumstances of the case, we consider the presence of the State of Uttar Pradesh through Chief Secretary Government of Uttar Pradesh, the Ministry of 'Jal Shakti and the Central Water Commission to be essential for just and proper adjudication of the questions involved and they are impleaded as respondents no. 7 to 9. The Registry is directed to amend the memo of parties to the application. Notices be issued to newly impleaded respondents no. 7 to 9 requiring them to file their reply/response within two months by email at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR Supported PDF and not in the form of Image PDF.

5. Learned Counsel for the State of Uttarakhand seeks time to file additional reply giving details of further action taken.

6. Additional reply on behalf of State of Uttarakhand be also filed within two months by email at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR Supported PDF and not in the form of Image PDF.

7. List for further consideration on 10.10.2023.

Arun Kumar Tyagi, JM

Dr. Afroz Ahmad, EM

July 05, 2023
N

प्रेषक,

मुख्य अभियन्ता स्तर–।।
सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड,
हरिद्वार।

प्रेषित,

अपर जिलाधिकारी,
हरिद्वार।

पत्रांक–2178/मु0अ0ह0/सि0वि0/एन0जी.टी. दिनांक 26 सितम्बर, 2023।

विषय– माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा मूल आवेदन संख्या–632/2022 वी0के0 त्यागी बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 05.07.2023 के अनुपालन के सम्वन्ध में।

सन्दर्भ– आपका पत्रांक 531/एल0बी0ए0–2023, दिनांक 15 सितम्बर, 2023।

महोदय

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसमें दिनांक 24.08.2023 को जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में विषयगत प्रकरण के संबंध में एक बैठक आहूत की गयी थी। बैठक में निर्गत कार्यवृत्त के बिन्दु संख्या–06 में सिंचाई विभाग, रूड़की फ्लड प्लान जोन के सीमांकन/निर्धारण के संबंध में की गयी कार्यवाही की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने की वांछना की गयी थी।

उक्त विषयगत प्रकरण के संबंध में अवगत कराना है कि सोलानी नदी पर बाढ़ मैदान परिक्षेत्रण हेतु सर्वेक्षण/Data Collection, Cross Section, Flood Frequency, analysis and DEM आदि का कार्य करा लिया गया है तथा माह के अन्त तक प्रथम वर्कशॉप कराया जाना प्रस्तावित है। इसके उपरान्त मॉडलिंग का कार्य कर विभिन्न आवृत्ति 05 वर्षीय, 10 वर्षीय, 25 वर्षीय, 50 वर्षीय, 100 वर्षीय पर बाढ़ फैलाव का सीमांकन किया जायेगा, उक्त सभी कार्य मार्च 2024 तक पूर्ण कर लिया जाना लक्षित है।

अतः सूचना सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(प्रेम सिंह पंवार)
मुख्य अभियन्ता, हरिद्वार।

पत्रांक– /मु0अ0ह0/सिं0वि0/एन0जी.टी./तदिनांक।

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी, हरिद्वार।
2. अधीक्षण अभियन्ता, जल विज्ञान मण्डल, सिंचाई अनुसन्धान संस्थान, बहादराबाद को उनके पत्र सं0 1281/ज0वि0म0/बा0मै0परि0/दिनांक 16.09.2023 के क्रम में।

(प्रेम सिंह पंवार)
मुख्य अभियन्ता, हरिद्वार।

Scanned with CamScanner

प्रेषक,

मुख्य अभियन्ता स्तर–।।
सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड,
हरिद्वार।

प्रेषित,

अपर जिलाधिकारी,
हरिद्वार।

पत्रांक– /मु0अ0ह0/सि0वि0/एन0जी.टी. दिनांक 20 सितम्बर, 2023।

विषय– माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा मूल आवेदन संख्या–632/2022 वी0के0 त्यागी बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 05.07.2023 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ– आपका पत्रांक 531/एल0वी0ए0–2023, दिनांक 15 सितम्बर, 2023।

महोदय

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसमें दिनांक 24.08.2023 को जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में विषयगत प्रकरण के संबंध में एक बैठक आहूत की गयी थी। बैठक में निर्गत कार्यवृत्त के बिन्दु संख्या–06 में सिंचाई विभाग, रूड़की फ्लड प्लान जोन के सीमांकन/निर्धारण के संबंध में की गयी कार्यवाही की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने की वांछना की गयी थी।

उक्त विषयगत प्रकरण के संबंध में अवगत कराना है कि सोलानी नदी पर बाढ़ मैदान परिक्षेत्रण हेतु सर्वेक्षण/Data Collection, Cross Section, Flood Frequency, analysis and DEM आदि का कार्य करा लिया गया है तथा माह के अन्त तक प्रथम वर्कशॉप कराया जाना प्रस्तावित है। इसके उपरान्त मॉडलिंग का कार्य कर विभिन्न आवृत्ति 05 वर्षीय, 10 वर्षीय, 25 वर्षीय, 50 वर्षीय, 100 वर्षीय पर बाढ़ फैलाव का सीमांकन किया जायेगा, उक्त सभी कार्य मार्च 2024 तक पूर्ण कर लिया जाना लक्षित है।

अतः सूचना सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(प्रेम सिंह पंवार)
मुख्य अभियन्ता, हरिद्वार।

पत्रांक–2778/मु0अ0ह0/सि0वि0/एन0जी.टी./तदिनांक।

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी, हरिद्वार।
2. अधीक्षण अभियन्ता, जल विज्ञान मण्डल, सिंचाई अनुसन्धान संस्थान, बहादराबाद को उनके पत्र सं0 1231/ज0वि0म0/बा0मै0परि0/दिनांक 16.09.2023 के क्रम में।

(प्रेम सिंह पंवार)
मुख्य अभियन्ता, हरिद्वार।

कार्यालय परियोजना प्रबन्धक
निर्माण एवं अनुरक्षण इकाई (गंगा)
उत्तराखण्ड पेयजल निगम,
जगजीतपुर, पोस्ट–कनखल
हरिद्वार–249408

Office of Project Manager
Construction & Maintenance Unit (Ganga)
Uttarakhand Peyjal Nigam,
Jagjeetpur, Post-Kankhal,
Haridwar-249408

Email:-pmcivilgangahrd@gmail.com

Letter No. 2203 / कार्य–25 / 36 date 16-09-2023 Through - Email/Post

सेवा में,

अधिशासी अभियन्ता,
उत्तरी खण्ड गंग नहर,
उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग,
रूडकी।
ई–मेल :– eendgcrke@gmail.com

विषय :– सोलानी नदी में गिरने वाले नालों को टैप करने हेतु एस०टी०पी० निर्माण के लिए भूमि उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सोलानी नदी में गिरने वाले नालों को टैप करने हेतु एस०टी०पी० निर्माण के लिए भूमि उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में आपके कार्यालय पत्रांक 2113/उखगनरू/ एन०ओ०सी० (एस०टी०पी०/रूडकी/डी०एस०ए०/सचिव दिनांक 15.09.2023 के द्वारा चाही गयी परियोजना की डी०पी०आर० के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि Aqueduct से अपरस्ट्रीम में मच्छी मौहल्ला के समीप खसरा नम्बर–254 एवं Aqueduct से डाऊनस्ट्रीम में आदर्श नगर सोलानी नदी के समीप खसरा नम्बर–34 पर STP निर्माण हेतु चिन्हित भूमि जो आपके स्वामित्व में है की अनापत्ति मिलने के पश्चात ही उक्त कार्यों का विस्तृत प्राक्कलन तैयार कर उच्चाधिकारियों को प्रेषित किया जा सकेगा। उक्त क्षेत्र में कराये जाने वाले प्रस्तावित कार्यों की Prefeasibility Report संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं।

संलग्नक :–
1. **Prefeasibility Report**
2. **Detailed Survey Index Map including Proposals.**
3. **Sample Test report of Dry weather Flow of different Nalas.**
4. **Layout Plan of STP.**

भवदीया,

(मीनाक्षी मित्तल वशिष्ठ)
परियोजना प्रबन्धक

पृ०सं० एवं दिनांक तदैव।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
1. जिलाधिकारी महोदय, हरिद्वार।
2. ज्वाईन्ट मजिस्ट्रेट, रूडकी।
3. अपर जिलाधिकारी (प्रशा), हरिद्वार।
4. महाप्रबन्धक, निर्माण मण्डल (गंगा), उत्तराखण्ड पेयजल निगम, हरिद्वार।
5. इं० आनन्द सिंह, परियोजना अभियन्ता (इकाई अन्तर्गत) को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

परियोजना प्रबन्धक

"जल संचय–जीवन संचय" "कृपया जल स्त्रोतों को प्रदूशित होने से बचाईये।"
वैधानिक चेतावनी– जल स्त्रोतों को प्रदूशित करना दण्डनीय अपराध है।

कार्यालय परियोजना प्रबन्धक, निर्माण एवं अनुरक्षण इकाई (गंगा), उत्तराखण्ड पेयजल निगम, हरिद्वार

Prefeasibility Report

सोलानी नदी में गिरने वाले नालों को टैप करने सम्बन्धी कार्य

1. माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा मूल आवेदन संख्या 632/2022 वी०के० त्यागी बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य के अनुपालन में इस इकाई द्वारा रूडकी नगर में सोलानी नदी में गिर रहे 08 गन्दे नालों को उपचारित करने हेतु Interception & Diversion एवं एस०टी०पी० निर्माण हेतु प्राक्कलन तैयार करने की प्रक्रिया गतिमान है।
2. रूडकी शहर सोलानी नदी के दायें किनारे पर स्थित है। रूडकी शहर के मध्य से गंगा केनाल सोलानी नदी के ऊपर से प्रवाहित हो रही है। सोलानी नदी क्षेत्र का सर्वेक्षण करने के उपरान्त पाया गया कि रूडकी शहर से कुल 08 नग नाले रूडकी के समीप सोलानी नदी में गिर रहे है। जिसमें से 05 नग नाले Aqueduct से सोलानी नदी के अपस्ट्रीम में गिर रहे है एवं 03 नग नाले Aqueduct से सोलानी नदी के डाऊनस्ट्रीम में गिर रहे है। गिरने वाले नालें निम्नानुसार हैः–

क्र०सं०	नाले का नाम	नाले के गिरने का स्थल
1	धोबी घाट ड्रेन	Aqueduct से अपस्ट्रीम में
2	सोत मौहल्ला ड्रेन	
3	इमली रोड ड्रेन	
4	मच्छी मौहल्ला लोवर ड्रेन	
5	रामपुर चुंगी ड्रेन	
6	आदर्श नगर ड्रेन–1	Aqueduct से डाऊनस्ट्रीम में
7	आदर्श नगर ड्रेन–2	
8	पठानपुरा ड्रेन	

3. Aqueduct से अपस्ट्रीम में गिरने वाले कुल 05 नग नालों का Dry weather Flow 20.00 एम०एल०डी० है एवं Aqueduct से डाऊनस्ट्रीम में गिरने वाले कुल 03 नग नालों का Dry weather Flow 2.00 एम०एल०डी०. है।
4. Aqueduct से अपस्ट्रीम में गिरने वाले 05 नग नालों के Dry weather Flow के ट्रीटमेन्ट हेतु एक नग एस०टी०पी० का निर्माण उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग, रूडकी के स्वामित्व वाली भूमि पर किया जाना प्रस्तावित है। उक्त भूमि के चयन हेतु जिलाधिकारी महोदय, हरिद्वार एवं ज्वाईन्ट मजिस्ट्रेट रूडकी के निर्देशों के अनुपालन में इकाई के अधिकारियों के साथ–साथ उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग, रूडकी एवं राजस्व विभाग, रूडकी के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के साथ दिनांक 19.05.2023, दिनांक 10.07.2023 एवं दिनांक 01.08.2023 को संयुक्त निरीक्षण किया

गया। संयुक्त निरीक्षण उपरान्त सोलानी नदी के अपस्ट्रीम में मच्छी मौहल्ला के समीप खसरा नम्बर–254 में एवं Aqueduct से डाऊनस्ट्रीम में गिरने वाले कुल 03 नग नालों का Dry weather Flow के ट्रीटमेन्ट हेतु आदर्श नगर में सोलानी नदी के समीप खसरा नम्बर– 34 पर स्थित भूमि का संयुक्त रूप से चयन किया गया है। खसरा नम्बर–254 की भूमि के ऊपर से 11000 KVA की विद्युत लाईन गुजर रही है जिसको शिफ्ट कराया जाना आवश्यक होगा।

5. उक्त क्षेत्र में गिरने वाले सभी नालों के गन्दें पानी के सैम्पलों की टैस्टिंग इकाई द्वारा एवं उत्तराखण्ड प्रदूषण बोर्ड द्वारा करा दी गयी है। जिसकी रिपोर्ट संलग्न है।
6. Aqueduct से अपरट्रीम में 05 नग नालों के Dry weather Flow के शोधन हेतु लगभग 20.00 एम०एल०डी० क्षमता का एस०टी०पी० मच्छी मौहल्ला के समीप खसरा नम्बर–254 में प्रस्तावित किया गया है एवं Aqueduct से डाऊनस्ट्रीम में 03 नग नालों के Dry weather Flow के शोधन हेतु 2.00 एम०एल०डी० क्षमता का एस०टी०पी० आदर्श नगर सोलानी नदी में समीप खसरा नम्बर– 34 में प्रस्तावित किया गया है।
7. उक्त योजना में 8 नग नाला टैपिंग संरचनायें तथा नाला टैपिंग से एस०टी०पी० तक लगभग 3 किमी Carrier Line का निर्माण कराया जाना प्रस्तावित है। योजना का विस्तृत आगणन प्रस्तावित भूमि का एन०ओ०सी० प्राप्त होने के पश्चात तैयार कर उच्चाधिकारियों को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित कर दिया जायेगा।

<u>संलग्नक</u> :–

1. **Detailed Survey Index Map Including Proposals.**
2. **Sample Test report of Dry weather Flow of different Nalas.**
3. **Layout Plan of STP.**

परियोजना प्रबन्धक

Tentative Layout Plan STP Near Solani River, Roorkee

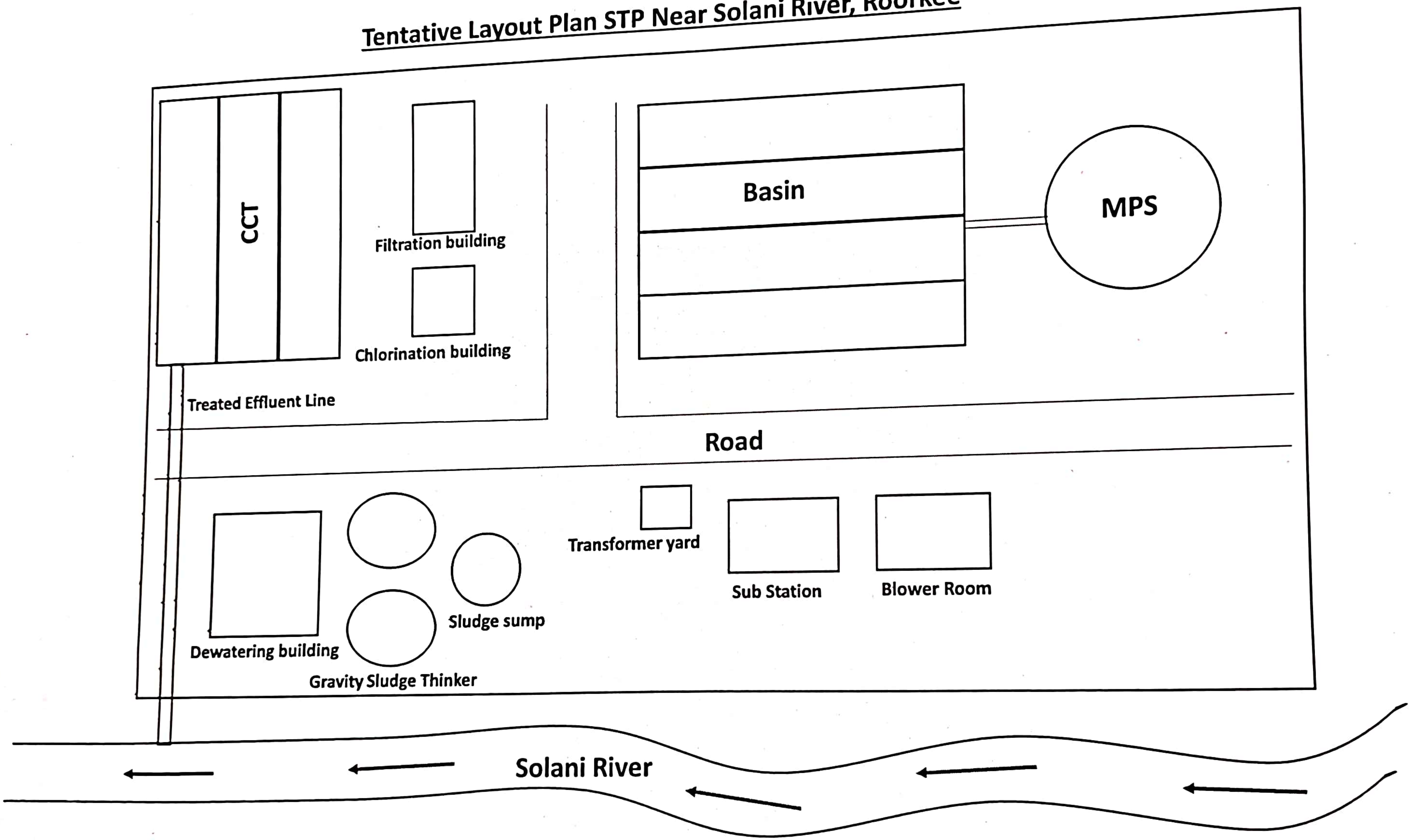

TENTATIVE INDEX PLAN OF SOLANI RIVER INTERCEPTION & DIVERSION PROPOSALS

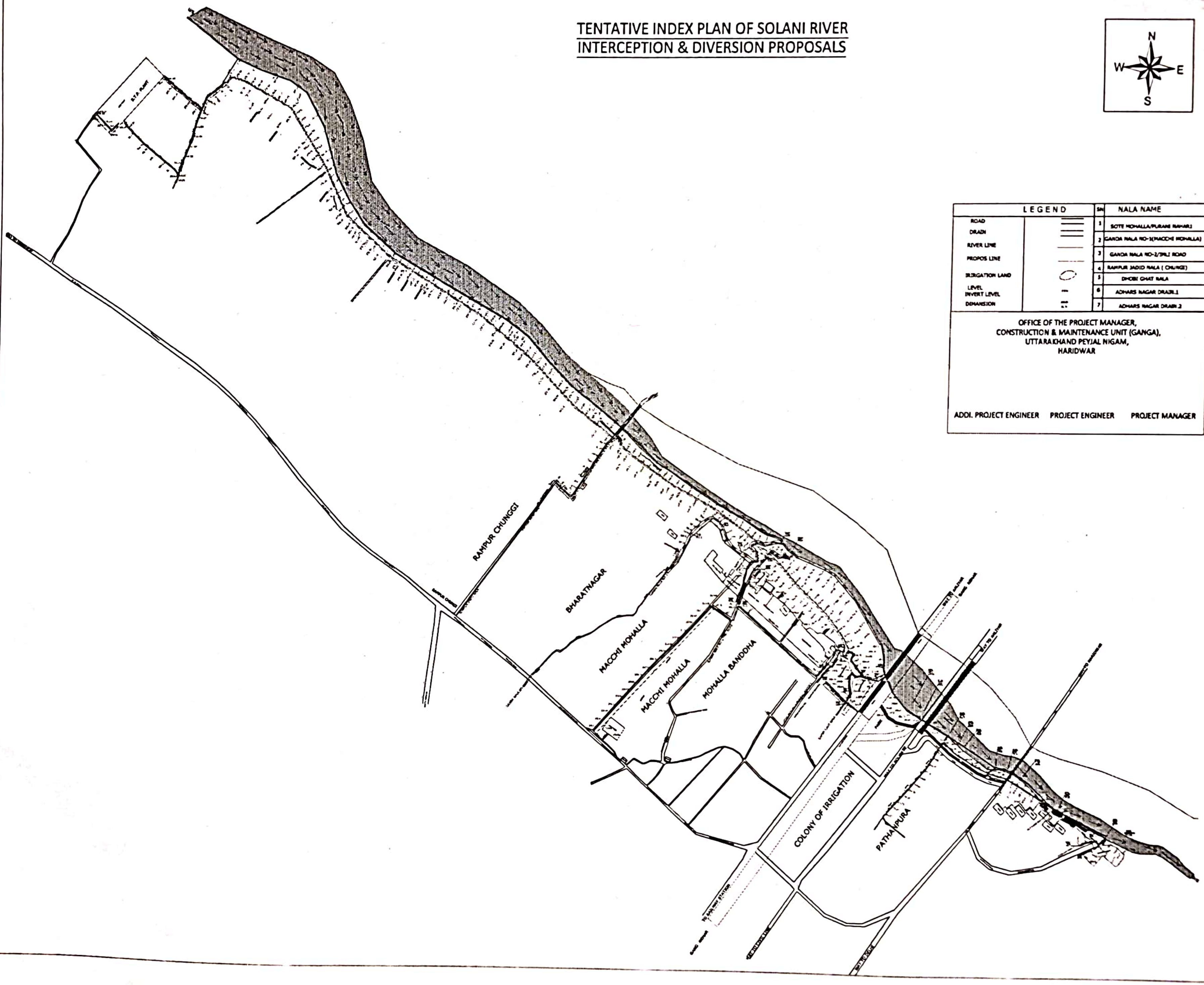

LEGEND		SN	NALA NAME
ROAD		1	SOTE MOHALLA/PURANI RAHARI.1
DRAIN		2	GANDA NALA NO-1(MACCHI MOHALLA)
RIVER LINE		3	GANDA NALA NO-2/JAIL ROAD
PROPOS LINE		4	RAMPUR JADID NALA (CHUNGI)
IRRIGATION LAND		5	DHOBI GHAT NALA
LEVEL INVERT LEVEL		6	ADHARS NAGAR DRAIN.1
DIMANSION		7	ADHARS NAGAR DRAIN.2

OFFICE OF THE PROJECT MANAGER,
CONSTRUCTION & MAINTENANCE UNIT (GANGA),
UTTARAKHAND PEYJAL NIGAM,
HARIDWAR

ADDL. PROJECT ENGINEER | PROJECT ENGINEER | PROJECT MANAGER

कार्यालय उप जिलाधिकारी रूड़की।

पत्रांक– 731 /पी0ए0 दिनांकः सितम्बर 16 ,2023

विषयः– मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 सं0–632/2022 वी0के0 त्यागी बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य के सम्बन्ध में पारित मा0 अधिकरण के आदेश दिनांक 05–07–2023 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

अपर जिलाधिकारी,
प्रशासन,
हरिद्वार।

कृपया उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में अपने पत्र सं0–462/एल0बी0ए0 दिनांक 01–09–2023 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करे। उक्त के द्वारा दिनांक 24–08–2023 को जिलाधिकारी महोदय, हरिद्वार की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में दिये गये निर्देशो के सम्बन्ध में कार्यवाही करते हुये आख्या प्रेषित करने के निर्देश दिये गये है।

उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि अधिशासी अभियन्ता, उत्तरी खण्ड गंगा नहर, रूड़की को पत्र सं0–2113/डी0एस0ए0/सचिव दिनांक 15–09–2023 परियोजना प्रबन्धक, निर्माण एवं अनुरक्षण इकाई (गंगा), उत्तराखण्ड पेयजल निगम, हरिद्वार को प्रेषित किया गया जिसकी प्रतिलिपि अन्यों के साथ अधोहस्ताक्षरी को भी पृष्ठांकित की गई। उक्त पत्र में उल्लेख किया गया है कि रूड़की क्षेत्र के अन्तर्गत सोलानी नदी में गिरने वाले नालों के वेस्ट वाटर के शोधन हेतु एस0टी0पी0 निर्माण के लिए दिनांक 31–07–2023 को संयुक्त निरीक्षण कर निम्न भूमि को चिन्हित किया गया है–

1– सोलनी एक्वाडक्ट के अपस्ट्रीम में मच्छी मौहल्ला के समाने खसरा सं0– 254 – 2.0 है0।
2– आदर्श नगर सोलानी नदी के समीप – 0.2 है0।

उक्त चिन्हित भूमि के अन्तर्गत जितनी भूमि पर एस0टी0पी0 प्लान्ट लगाया जाना है तथा जो सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग उ0प्र0 के अधीन है, का विस्तृत विवरण एवं एस0टी0पी0 प्लान्ट लगाने हेतु परियोजना की डी0पी0आर0 उपलब्ध कराने हेतु लिखा गया है।

अधिशासी अभियन्ता, उत्तरी खण्ड गंगा नहर ,रूड़की ने अपने पत्र संख्या– 616/उखगनरू/राजस्व अनुभाग/एन0जी0टी0 दिनांक 16–09–2023 के द्वारा अवगत कराया है कि दिनांक 11–04–2023 को पुलिस प्रशासन के सहयोग से विभाग द्वारा अवैध रूप से काश्त की गई चारे इत्यादि की फसल को ट्रेक्टर द्वारा जुताई कर सिंचाई विभाग, उ0प्र0 की भूमि को अतिक्रमण मुक्त करा लिया गया था। वर्तमान में उक्त भूमि पर कोई भी अवैध अतिक्रमण नहीं है। मा0 हरित अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 05–07–2023 की अनुपालना पूर्ण रूप से सुनिश्चित कर ली गई है।

अतः अवगत कराना है कि एस0टी0पी0 प्लान्ट लगाये जाने हेतु भूमि का विवरण एवं डी0पी0आर0 उपलब्ध कराये जाने हेतु परियोजना प्रबन्धक, निर्माण एवं अनुरक्षण इकाई (गंगा), उत्तराखण्ड पेयजल निगम, हरिद्वार से आख्या प्राप्त किया जाना उचित होगा। कृपया आख्या सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(अभिनव शाह)
ज्वाइन्ट मजिस्ट्रेट,
रूड़की।

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
उत्तरी खण्ड गंगा नहर, रूड़की

पत्रांकः— 616 /उखगनरू/राजस्व अनुभाग/एन0जी0टी0, दिनांकःरुड़कीः 16.09. 2023

विषयः— मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 सं0—632/2022 वी0 के0 त्यागी बनाम् उत्तराखण्ड राज्य व अन्य के सम्बन्ध में पारित मा0 अधिकरण के आदेश दिनांक 05.07.2023 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

ज्वाईन्ट मजिस्ट्रेट, रुड़की।

उपरोक्त विषयक के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि दिनांक 11.04.2023 को आपके निर्देशन में पुलिस प्रशासन के सहयोग से विभाग द्वारा अवैध रूप से काश्त की गई चारे इत्यादि की फसल को ट्रेक्टर द्वारा जुताई कर सिंचाई विभाग, उ0प्र0 की भूमि को अतिक्रमण मुक्त करा लिया गया था। इस आशय की सूचना आपको इस कार्यालय के पत्रांक 227/उखगनरु/राजस्व अनुभाग/एन0जी0टी0, दिनांक 12.04.2023 द्वारा संलग्नको सहित प्रेषित की जा चुकी है। वर्तमान में उक्त भूमि पर कोई भी अवैध अतिक्रमण नही है। मा0 हरित अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 05.07.2023 की अनुपालना पूर्ण रूप से सुनिश्चित कर ली गई है।

संलग्नकः उपरोक्तानुसार।

16/9/23

अधिशासी अभियन्ता
उत्तरी खण्ड गंगा नहर
रुड़की

अधिशासी अभियन्ता
उत्तरी खण्ड गंगा नहर
रूड़की।

सेवा में,

ज्वाइंट मजिस्ट्रेट
रूड़की

पत्रांकः– 227 /उखगनरू/रा0अनु0/एन0जी0टी0 दिनांक 12.04.2023

विषयः– N.G.T.Original Application No. 632/2022, V.K. Tyagi Versus State of Uttrakhand के सम्बन्ध में रूड़की में सोलानी नदी की जमीन पर मिलीभगत कर खेती करने व पानी के वहाव को अवरूद्व करने और पानी को प्रदूषित करने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भः– आपका पत्रांक 228/पी0ए0/दिनांक 25.03.2023

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें। अवगत कराना है कि विषयगत प्रकरण के सम्बन्ध में दिनांक 23.03.2023 को अपरान्ह 11.00 बजे आपके कार्यालय कक्ष में बैठक आहूत की गयी थी। जिसमें इस खण्ड की ओर से श्री मुनेश कुमार शर्मा, उपराजस्व अधिकारी, उत्तरी खण्ड गंगा नहर, रूड़की उपस्थित हुए थे। आयोजित बैठक के कार्यवृत्त के बिन्दु सं0 2 में उपरोक्त मौके पर 13 अतिक्रमणकारियों के नोटिस निर्गत कर 10 दिवस में अतिक्रमण हटवाने के निर्देश दिये गये थे। प्रश्नगत प्रकरण की जॉच सहायक अभियन्ता–तृतीय रूड़की से करायी गई। उनके द्वारा प्रेषित रिपोर्ट सं0 105/स0अ0–3/दिनांक 12.04.2023 के अनुसार जिलेदार रूड़की द्वारा 13 अतिक्रमणकारियो (जिनके द्वारा चारा इत्यादि फसल बोई गई थी) के विरूद्व नोटिस की कार्यवाही कर दिनांक 11.04.2023 में विभाग द्वारा आपके निर्देशन में पुलिस प्रशासन के सहयोग से अवैध रूप से कास्त की गई चारे आदि की फसल को ट्रैक्टर द्वारा जुताई कर सिंचाई विभाग की भूमि को अतिक्रमणमुक्त करा लिया गया है। मा0 न्यायालय N.G.T.के आदेशों का पूर्ण रूप से अनुपालन सुनिश्चित कर लिया गया है। अवैध कास्त से मुक्त करायी गई भूमि के फोटोग्राफस की छाया प्रति सलग्न है। आख्या सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सेवा में प्रेषित है।

संलग्नकः– उपरोक्तानुसार।
04 किते

भवदीय,

अधिशासी अभियन्ता
उत्तरी खण्ड गंगा नहर
रूड़की।

पत्रांकः– 227 /उखगनरू/तदिनांकः 12.04.2023

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं।

1. मा0 नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल नई दिल्ली।
2. उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड 'गौरा देवी पर्यावरण' भवन 46बी, आई0टी0 पार्क सहस्त्रधारा रोड़ देहरादून–248001
3. जिलाधिकारी हरिद्वार।
4. क्षेत्रीय अधिकारी, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड रूड़की।
5. सहायक अभियन्ता–तृतीय, उत्तरी खण्ड गंगा नहर रूड़की को उनके द्वारा प्रेषित रिपोर्ट के सन्दर्भ में।
6. उपराजस्व अधिकारी, उत्तरी खण्ड गंगा नहर रूड़की।

अधिशासी अभियन्ता
उत्तरी खण्ड गंगा नहर
रूड़की।

प्रेषक,

अधिशासी अभियन्ता
उत्तरी खंड गंगा नहर, रूड़की

प्रेषित,

परियोजना प्रबन्धक निर्माण एवं अनुरक्षण इकाई (गंगा)
उत्तराखण्ड पेयजल निगम जगजीतपुर, हरिद्वार।

पत्रांक: /उखगनरू /एन0ओ0सी0(एस0टी0पी0)/रूड़की दिनांक 2023

विषयः— सोनाली नदी मे गिरने वाले नालो को टैप करने हेतु एस0टी0पी0 निर्माम के लिए भूमि उपलब्ध कराने के सम्बन्ध मे।

संदर्भः आपका पत्रांक 1948/कार्य–25/28 दिनांक 28.08.2023।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करे जिसके माध्यम से आपके द्वारा रूड़की क्षेत्र के अन्तर्गत सोलानी नदी मे गिरने वाले नालों के वेस्ट वाटर के शोधन हेतु एस0टी0पी0 निर्माण के लिए दिनांक 31.07.2023 को संयुक्त निरीक्षण कर निम्न भूमि को चिन्हित किया गया है।

1. सोलानी एक्वाडक्ट के अपस्ट्रीम में मच्छी मौहल्ला के समीप खसरा संख्या 254 – 2.0 है0
2. आदर्श नगर सोलानी नदी के समीप – 0.2 है0

आपके द्वारा एस0टी0पी0 निर्माण के लिए उक्त भूमि नि–शुल्क उपलब्ध कराने एवं जिलाधिकारी महोदय को सूचित करने हेतु इस कार्यालय को [illegible] है। इस सम्बन्ध में अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु उक्त चिन्हित भूमि के अन्तर्गत जितनी भूमि पर एस0टी0पी0 प्लान्ट लगाया जाना है तथा जो सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग उ0प्र0 के अधीन है, का विस्तृत विवरण एवं एस0टी0पी0 प्लान्ट लगाने हेतु परियोजना की डी0पी0आर0 इस कार्यालय को शीघ्र उपलब्ध कराना सुनिश्चित करे ताकि विभागीय नियमों के आलोक मे परीक्षण कर उक्त भूमि आपको उपलब्ध कराने हेतु अनापत्ति/अनुमति प्रकरण उच्चाधिकारियो का प्रेषित किया जा सके।

अधिशासी अभियन्ता
उत्तरी खण्ड गंगा नहर
रूड़की

पत्रांक: 2113/डी0एस0ए0/सचिव/तद्दिनांक: 15/9/23
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. अधीक्षण अभियन्ता, गंगा नहर संचालन मण्डल मेरठ।
2. ज्वाइन्ट मजिस्ट्रेट रूड़की।
3. सहायक अभियन्ता–तृतीय, उत्तरी खण्ड गंगा नहर रूड़की को इस आशय से प्रेषित है कि उक्त अनुसार दिनांक 31.07.2023 को हुये संयुक्त निरीक्षण विस्तृत आख्या सहित उपलब्ध कराना सुनिश्चित करे।

अधिशासी अभियन्ता
उत्तरी खण्ड गंगा नहर
रूड़की

प्रेषक,

जिला विकास अधिकारी,
हरिद्वार।

सेवा में,

अपर जिलाधिकारी (प्रशासन),
जनपद हरिद्वार।

पत्रांक– 401 /मनरेगा–सोनाली नदी पुनर्रोद्धार/2023–24 दिनांकः– 12 सितम्बर, 2023

विषय :– **सोलानी नदी पुनर्रोद्धार (River Rejuvenation) कार्य योजना के सम्बन्ध में।**

कृपया उपरोक्त विषयक जिलाधिकारी महोदय के निर्देशों के क्रम में सोलानी नदी के किनारे स्थित ग्राम पंचायतों का विवरण प्रेषित करते हुए नदी पुनर्रोद्धार (River Rejuvenation) हेतु मनरेगा योजना की कार्य योजना चाही गयी थी।

उक्त के क्रम में विकास खण्डों द्वारा वृक्षारोपण से सम्बन्धित मनरेगा कार्य योजना प्रेषित की गयी है, जो पत्र के साथ संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है।

संलग्न–उपरोक्तानुसार।

(वेद प्रकाश)
जिला विकास अधिकारी/
उप जिला कार्यक्रम समन्वयक,
मनरेगा, हरिद्वार।

प्रतिलिपि :–

1. जिला आपदा प्रबन्धनक अधिकारी, हरिद्वार को सूचनार्थ प्रेषित।
2. मुख्य विकास अधिकारी/अपर जिला कार्यक्रम समन्वयक (मनरेगा), हरिद्वार को अवलोकनार्थ प्रेषित।
3. जिलाधिकारी/जिला कार्यक्रम समन्वयक (मनरेगा), हरिद्वार को अवलोकनार्थ प्रेषित।

जिला विकास अधिकारी/
उप जिला कार्यक्रम समन्वयक,
मनरेगा, हरिद्वार

सोलानी नदी के किनारे स्थित ग्राम पंचायतो में वृक्षारोपण कराये जाने की कार्य योजना (मनरेगा)

जनपद हरिद्वार

क्र0सं0	विकास खण्ड	ग्राम पंचायतों की संख्या	पौधो की संख्या	क्षेत्रफल (हे0 में)	अनुमानित धनराशि (लाख में)	पौधों के प्रकार
1	2	3	4	5	6	7
1	भगवानपुर	9	9880	15.20	21.28	बांस, नीम, तून व शीशम आदि
2	खानपुर	6	2032	3.14	3.15	बांस, नीम, तून व शीशम आदि
3	लक्सर	4	3535	7.13	11.05	बांस, नीम, तून व शीशम आदि
4	रूडकी	3	8450	13.00	18.20	बांस, नीम, तून व शीशम आदि
योग		**22**	**23897**	**38.47**	**53.68**	

Distt. Development Officer
Hardwar

सोलानी नदी के किनारे स्थित ग्राम पंचायतों में वृक्षारोपण कार्य की सूची

विकास खण्ड भगवानपुर

क्र स	ग्राम पंचायत का नाम	पौधों की संख्या	क्षेत्रफल (है में)	धनराशि (लाख रु. में)	पौधों के प्रकार
1	2	3	4	5	6
1	खेड़ी शिकोंहपुर	1560	2.40	3.36	बांस, नीम, तून व शीशम आदि
2	डाडा पट्टी	650	1.00	1.40	बांस, नीम, तून व शीशम आदि
3	हसनपुर मदनपुर	650	1.00	1.40	बांस, नीम, तून व शीशम आदि
4	खुबबनपुर	650	1.00	1.40	बांस, नीम, तून व शीशम आदि
5	चौली शहाबुद्दीनपुर	1170	1.80	2.52	बांस, नीम, तून व शीशम आदि
6	सीसोना	1300	2.00	2.80	बांस, नीम, तून व शीशम आदि
7	बहबलपुर	1560	2.40	3.36	बांस, नीम, तून व शीशम आदि
8	मानक मजरा	1690	2.60	3.64	बांस, नीम, तून व शीशम आदि
9	वहावपुर उर्फ छागामजरी	650	1.00	1.40	बांस, नीम, तून व शीशम आदि
योग		9880	15.20	21.28	

Distt. Development Officer
Hardwar

सोलानी नदी के किनारे स्थित ग्राम पंचायतो में वृक्षारोपण कार्य की सूची
विकास खण्ड खानपुर

क्र0सं0	ग्राम पचांयत का नाम	ग्राम का नाम	पौधो की संख्या	क्षेत्रफल (हे0 में)	अनुमानित धनराशि (लाख में)	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7
1	मौहम्मदपुर मथाना	मथाना	115	0.18	0.15	––
2	मौहम्मदपुर मथाना	मौहम्मदपुर	122	0.19	0.15	––
3	मौहम्मदपुर मथाना	झिवरहेडी	95	0.15	0.10	––
4	मौहम्मदपुर मथाना	सहीपुर	110	0.17	0.10	––
5	मौहम्मदपुर मथाना	इब्राहिमपुर	75	0.12	0.10	––
6	सिकन्दरपुर	सिकन्दरपुर	125	0.19	0.20	––
7	सिकन्दरपुर	अब्दीपुर	130	0.20	0.25	––
8	सिकन्दरपुर	याहियापुर	125	0.19	0.15	––
9	प्रहलादपुर	हस्तमौली	170	0.26	0.30	––
10	प्रहलादपुर	आलमपुर	155	0.24	0.30	––
11	प्रहलादपुर	मदारपुर	105	0.16	0.10	––
12	प्रहलादपुर	शाहपुर	115	0.18	0.15	––
13	जोग्गावाला	जोग्गावाला	175	0.27	0.30	––
14	दल्लावाला	दल्लावाला	155	0.24	0.30	––
15	चन्द्रपुरी खादर	चन्द्रपुरी खादर	135	0.21	0.30	––
16	चन्द्रपुरी खादर	कवलपुर	125	0.19	0.20	––
		योग	**2032**	**3.14**	**3.15**	

नोट :–उक्त सोलानी नदी के किनारे ग्राम पंचायतो के तटबन्ध पर नीम, बॉस, तुन, शीशम आदि जंगली पौधो को रोपित किया जायेगा।

Distt. Development Office
Hardwar

सोलानी नदी के किनारे स्थित ग्राम पंचायतों मे वृक्षारोपण कार्य का विवरण

विकास खण्ड का नाम – लक्सर

क्र0सं0	ग्राम पचायत का नाम	पोधो की संख्या	क्षे0 (हे0 में)	अनुमानित लागत (लाख में)	पौधो की प्रजाति
1	लादपुर कंला	1050	1.62	2.50	बांस, नीम, तून, शीशम
2	मा0पुर बुर्जुग	1100	1.69	2.8	बांस, नीम, तून, शीशम
3	कुआखेडा	1205	1.85	2.85	बांस. नीम, तून, शीशम
4	ढाढेकी ढाणा	1280	1.97	2.9	बांस, नीम, तून, शीशम
	योग	**3535**	**7.13**	**11.05**	

सोलानी नदी के किनारे स्थित ग्राम पंचायतों में वृक्षारोपण कार्यो का विवरण

विकास खण्ड का नाम – रूडकी

क्र0सं0	ग्राम पंचायम का नाम	पौधो की संख्या	क्षेत्रफल (है0 में)	अनुमानित लागत (लाख रू में)	पौधों के प्रकार
1	2	3	4	5	6
1	करोंदी	3250	5.00	7.00	बांस, नीम, तून व शीशम आदि
2	किशनपुर जमालपुर	4550	7.00	9.80	बांस, नीम, तून व शीशम आदि
3	पुहाना	650	1.00	1.40	बांस, नीम, तून व शीशम आदि
योग		**8450**	**13.00**	**18.20**	

Distt. Development Officer
Hardwar

कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता
जल विज्ञान मण्डल
सिंचाई अनुसंधान संस्थान
बहादराबाद

पंत्राकः 1281/ज0वि0मं0/वा0मै0परि0 दिनांकः 16/09/2023

विषयः– माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा मूल आवेदन संख्या–632/2022 वी0के0 त्यागी बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में पारित ओदश दिनांक05.07.2023 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

मुख्य अभियन्ता, स्तर–2, सिचाई विभाग, हरिद्वार।

कृपया उपरोक्त विषयक के कम मे आपसे हुई वार्ता के कम में सोलानी नदी पर कराये जा रहे बाढ मैदान परिक्षेत्रण के कार्यो की प्रगति की वाछंना की गयी थी। इस सम्बन्ध मे अवगत कराना है कि उक्त नदी का सोलानी नदी पर बाढ मैदान परिक्षेत्रण हेतु सर्वेक्षण/Data Collection, Cross Section, Flood frequency analysis and DEM आदि का कार्य करा लिया गया है तथा माह के अन्त तक प्रथम वर्कशॉप कराया जाना प्रस्तावित है। इसके उपरान्त मॉडलिंग का कार्य कर विभिन्न आवृत्ति 05 वर्षीय, 10 वर्षीय, 25 वर्षीय, 50 वर्षीय एवं 100 वर्षीय पर बाढ फैलाव का सीमाकंन किया जायेगा। अवगतनीय है कि उक्त सभी कार्य मार्च 2024 तक पूर्ण कर लिये जाने की सम्भवना है। सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(रमेश चन्द गुप्ता)
अधीक्षण अभियन्ता

पंत्राकः 1281/ज0वि0मं0/तदिनांकः 16/09/2023

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. मुख्य अभियन्ता, स्तर–2, (परिकल्प) एवं निदेशक, सिंचाई अनुसंधान संस्थान, रूडकी।
2. अपर जिला अधिकारी, हरिद्वार के पत्र संख्या 531/एल0बी0ए0–2023, दिनांक 15.09.2023 के कम में।
3. अधिशासी अभियन्ता, जल विज्ञान खण्ड, बहादराबाद को आपसे हुई वार्ता के कम में।

(रमेश चन्द गुप्ता)
अधीक्षण अभियन्ता

कार्यालयः—मुख्य उद्यान अधिकारी हरिद्वार।

पंत्राक 1574 /मौ0पा0/2023—24/ दिनॉक 18/9/ 2023

सेवा में,

जिलाधिकारी महोदय,
हरिद्वार।

विषय— मधुमक्खी पालन प्रशिक्षण एवं मौनबॉक्स वितरण संबधी कार्ययोजना।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके कार्यालय पत्रांक 462/एल0बी0ए0/2023,दिनांक 01.09.2023 के कम में जिलाधिकारी महोदय हरिद्वार की अध्यक्षता में दिनांक 24.08.2023 को आहूत की गई बैठक में अधोहस्ताक्षरी को सोलानी नदी के दोनों तटों पर पड़ने वाले ग्रामों हेतु मौनपालन से संबन्धित कार्ययोजना प्रस्तुत करने के निर्देश किये गये है।

आदेशों के अनुपालन में सोलानी नदी के दोनो तटों से सटे ग्रामों हेतु कार्ययोजना संलग्न कर आपकी सेवा में सादर प्रेपित।

भवदीय,

(ओमप्रकाश सिंह)
मुख्य उद्यान अधिकारी,
हरिद्वार।

पंत्राक /दिनॉक

प्रतिलिपि 1— मुख्य विकास अधिकारी हरिद्वार महोदय, की सेवा में सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

मुख्य उद्यान अधिकारी,
हरिद्वार।

उद्यान विभाग जनपद हरिद्वार

क0सं0	विकासखण्ड का नाम	विकासखण्ड के अन्तर्गत सम्मिलित ग्रामों की सं0	मौनपालन हेतु प्रशिक्षर्णीथियों की सं0	मद का विवरण	मौनपालन पर व्यय	कृषकांश	राज्यांश	कुल व्यय	अभ्युक्ति
1	भगवानपुर	23	30	मौनपालन प्रशिक्षण	31500.00	0.00	0.00	31500.00	राज्य सैक्टर योजनान्तर्गत योजना कियान्वित की जायेगी।
				मौनबॉक्स वितरण	300मौनबॉक्स	720000.00	480000.00	1200000.00	
2	रुड़की	10	30	मौनपालन प्रशिक्षण	31500.00	0.00	0.00	31500.00	
				मौनबॉक्स वितरण	300मौनबॉक्स	720000.00	480000.00	1200000.00	
3	लक्सर	5	30	मौनपालन प्रशिक्षण	31500.00	0.00	0.00	31500.00	
				मौनबॉक्स वितरण	300मौनबॉक्स	720000.00	480000.00	1200000.00	
	योग	38	90		900 मौनबॉक्स, 94500.00	2160000.00	1440000.00	3694500.00	

मुख्य उद्यान अधिकारी
हरिद्वार

सोलानी नदी के दोनो तटो पर पडने वाले ग्रामो की सूची।

भगवानपुर– शहीदवाला ग्रंट,धीरमजरा,छांगामजरी,हकीमपुर तुर्रा, डाडापटटी,मण्डावर,हसनपुर मदनपुर,खेडीशिकाहपुर,अलावलपुर,अहमदपुर खेडी,मुर्करमपुर उर्फ कालेवाला,औरंगजेबपुर,रायपुर,सिसौना,लाव्वा,डाडा जलालपुर,बहबलपुर हंसूवाला,मानकमाजरा,हाल्लूमाजरा,बेहडकी सैदाबाद

रूडकी– मोहनपुरा माजरा,सैदपुरा,किशनपुर जमालपुर,सालियर साल्हापुर,भगेंडी,कान्हापुर,ढढेडी ख्वाजगीपुर,मीरपुर सिकन्दरपुंर

लक्सर– दाबकी खुर्द,मोहम्मदपुर बुजुर्ग,लादपुरकंला,ढाढेकी ढाणा।